मण्डल:- गोरखपुर,जनपद:- कुशीनगर,तहसील:- हाटा
न्यायालय उपजिलाधिकारी
वाद संख्या:- 00379/2020

श्रीमती रम्भा देवी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202005440200379
अंतर्गत धारा:- 80,उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

छाया प्रति नकल आदेश तिथि:- 21/03/2020

अंतिम आदेश

प्रस्तुत वाद श्रीमती रम्भा देवी आदि निवासी सुकरौली तहसील हाटा ने उत्तर प्रदेश सरकार को प्रतिवादी योजित करते हुये एक वाद अन्तर्गत धारा 80 उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 बावत गाटा संख्या-85/0.809हे0 इस कथन के साथ प्रस्तुत किया है कि विवादित भूमि का रकबा 0.809हे0 कदापि कृषि भूमि नही है मौके पर हम वादी का चहार दिवारी के साथ ही पक्का मकान निर्मित है जो शैक्षणिक प्रयोजन के रूप में उपयोग में लायी जा रही है। विवादित भूमि में कृषि कार्य नही होता है। अन्त में विवादित भूमि को लगान से मुक्त कर अकृषिक भूमि उद्‌घोषित किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में तहसीलदार से आख्या मंगाई गयी। तहसीलदार की आख्या दिनांक 18.02.2020 से स्पष्ट है कि आवेदकगण के नाम से ग्राम सुकरौली तप्पा-बंचरा, परगना-सिलहट, तहसील-हाटा जनपद-कुशीनगर में स्थित आ0न0-85/2.120हे0 है। जिसका लगान 84.82रू0 होता है। जिसपर आवेदकगण द्वारा 0.809हे0 भूमि पर पक्का भवन निर्माणधीन है तथा शेष भूमि सहन आदि के रूप में प्रयोज्य है। जिसमें मिट्टी भर गयी है। यह भूमि मौके से अकृषिक हो चुकी है। तहसीलदार द्वारा उक्त गाटों को अकृषिक घोषित किये जाने हेतु आख्या प्रेषित की गयी है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उ0 प्र0 राजस्व संहिता 80(1) में दिये गये प्राविधानो के अनुसार विधिक बंटवारे की आवश्यकता नही है। धारा 80(3) के उपधारा-1 में दिये गये प्राविधानो के अनुसार विवादित भूमि का आंशिक भाग अकृषिक होकर विद्यालय भवन निर्माणधीन है। जिसमे सीमांकन शुल्क 1000रू0 चालान संख्या-बी2-00004 दिनांक-14.02.2020 के माध्यम से जमा किया गया है। धारा 80(4) के प्राविधानों के अनुसार विवादित भूमि के बावत सार्वजनिक न्यूसेन्स व सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा व सुविधा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की कोई सम्भावना नही है। धारा 80-2(5) के प्राविधानों के अनुसार विवादित भूमि पर विद्यालय भवन निर्माणधीन है। विवादित भूमि का सरकारी दर की सूची, जो रजिस्ट्री कार्यालय के अनुसार निर्धारित है, का एक प्रतिशत मु0-36405-00 रू0 (छत्तीस हजार चार सौ पाँच रू0) चालान सं0-बी0एस0-00002 दिनांक 28.02.2020 को निर्धारित मद में जमा किया जा चुका है व इतनी ही धनराशि का कोर्ट फीस स्टाम्प के माध्यम से अदा किया गया है। इस प्रकार धारा 80 उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 में दिये गये सभी प्राविधानो का पालन किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो एंव तहसीलदार की आख्या दिनांक 28.02.20 के आधार पर विवादित भूमि को अकृषिक घोषित किया जाना उचित व न्यायसंगत है।

02
7/-

21.3.20

आदेश

अतः ग्राम सुकरौली के गाटा सं0-85मि0/0.8090हे0 भूमि को अकृषिक घोषित करते हुए भू0 रा0 से मुक्त किया जाता है। उक्त आदेश खतौनी दर खतौनी परिवर्तन कालम में तब तक अंकित होती रहेगी जब तक कि पुनः कृषिक न घोषित हो जाय। आदेश की एक प्रति उप निबंधक हाटा को पंजीयन हेतु भेजी जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

उपजिलाधिकारी

हाटा

आवेदन कर्ता........दिनेश.........
प्रार्थना-पत्र सं0........353........
प्रार्थना-पत्र दि0........21.3.20........
शब्द (अंक में)........205........
कोर्ट फीस........7/-........
प्रतिलिपि तैयार करने की तिथि....21.3.20
प्रतिलिपि जारी करने की तिथि....21.3.20

Director
A.V. INSTITUTE OF PHARMACY
SUKRAULI, KUSHINAGAR

प्रमाणित
21.3.20
पेशकार
एस.डी.ओ./एस. डी. एम.